

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 1972/फाल्गुन 26, 1893

No 145] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 1972/PHALGUNA 26, 1893

इ। भाग में भिन्न पृष्ठ सभा दी जाती है इससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March 1972

S.O. 192(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank, hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 1972.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 in the Second Schedule, for item 2A, the following item shall be substituted, namely:—

“2A. The North Eastern Area shall consist of the States of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura and the Union territories of Arunachal Pradesh and Mizoram.”

[No. F. 1(7)/PSB-NB/71.]

M. G. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1972

एन० ई० 192 (अ) — बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का योग करते हुए केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध उपबन्ध) योजना, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध उपबन्ध) (संशोधन) योजना, 1972 कही जायेगी।

(2) यह योजना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध उपबन्ध) योजना, 1970 में दूसरी अनुसूची में, मद 2 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जायेगी, अर्थात् :—

“2 क. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और मिजोराम होंगे।”

[सं० 1(7)पी० एम० बी०—एन० बी०/71]

एम० जी० बालमुहूर्तधरन सयुक्त सचिव।